

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2**  
**बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.**

व्य0वादक्र0-67ए/16

संस्थित दिनांक 17.09.14

बबूसिंह उर्फ कोमलसिंह उम्र-65 वर्ष पिता हिम्मतसिंह,  
जाति राजपूत निवासी ग्राम घोटखेड़ा तहसील लखनादौन  
जिला सिवनी म0प्र0।

.....वादी।

**विरुद्ध**

1.दीपकसिंह उर्फ भोजेसिंह, उम्र-60 वर्ष पिता पहापसिंह,  
जाति राजपूत, निवासी ग्राम बिरवा तहसील बैहर जिला बालाघाट।

क-रंजीतसिंह उम्र-32 वर्ष पिता स्व0 दीपकसिंह  
उर्फ भोजेसिंह, जाति राजपूत,

ख-उर्मिलाबाई उम्र-70 वर्ष पति स्व0 दीपकसिंह  
उर्फ भोजेसिंह, जाति राजपूत,

ग-कौशल्याबाई उम्र-52 वर्ष पति बुद्धसिंह जाति राजपूत  
साकिन छुई तहसील केवलारी जिला सिवनी।

घ-अहिल्याबाई उम्र-40 वर्ष पति नरेशसिंह जाति राजपूत,  
साकिन हूलकी तहसील व जिला जबलपुर।

झ-लक्ष्मीबाई उम्र-35 वर्ष पति राजनसिंह जाति राजपूत,  
साकिन सहपुरा तहसील व जिला जबलपुर।

च-चन्द्रवतीबाई उम्र-32 वर्ष पति भीषमसिंह जाति राजपूत,  
साकिन सोनतलाई तहसील व जिला जबलपुर।

2.म0प्र0 राज्य द्वारा-श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट

.....प्रतिवादीगण।

**-:: निर्णय ::-**

**-:: दिनांक 29/04/2017 को घोषित ::-**

1- यह वाद वादग्रस्त भूमि मौजा बिरवा प.ह.नं.20, रा.नि.म. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 47/1 रकबा 3.920 हेक्टेयर भूमि के विषय में घोषणा, कब्जा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी वाद में वर्णित पते के निवासी है तथा आपस में रिश्तेदार है। उपरोक्त वर्णित भूमि का पूर्व में मूल खसरा नंबर 47 रकबा 14.18 एकड़ था जो राजस्व प्रलेखों में प्रतिवादी क्रमांक 01 की माँ श्रीमती सीताबाई पति श्री पोहपसिंह के नाम पर दर्ज थी। उक्त भूमि में से रकबा 3.00 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 की माँ श्रीमती सीताबाई द्वारा अपनी छोटी बहन वादी की माँ बतसियाबाई को रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 15.05.1965 के माध्यम से दी थी तथा वादी की माँ बतसियाबाई के नाम पर बक्शीशनामा का पंजीयन कर उक्त 3.00 एकड़ भूमि का कब्जा व मालिकी सौंप दी थी और तब से बक्शीशशुदा भूमि पर वादी की

माँ बतसियाबाई अपने जीवनकाल में मालिक काबिज होकर काश्त करते चली आयी। वादी की माँ बतसियाबाई एक अनपढ़ एवं ग्रामीण महिला थी और उसे कानून का ज्ञान नहीं था इस कारण वह अनभिज्ञतावश समझती रही कि उसे बक्शीश में प्राप्त उक्त 3.00 एकड़ भूमि के राजस्व प्रलेखों में उसका नाम दर्ज हो गया है एवं वह शांतिपूर्वक अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर काबिज-काश्त करती रही, किन्तु बतसियाबाई की मृत्यु के पश्चात वादी को ग्राम बिरवा से अन्यत्र स्थान ग्राम घोंटेखेरो जिला सिवनी में निवास करने के कारण तथा अधिक दूरी होने से उक्त भूमि पर काश्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिये वादी ने अपनी माँ बतसियाबाई को बक्शीश में प्राप्त 3.00 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 को ही अधिया-बटई में काश्त करने दिया था और भूमि की आधी फसल या राशि प्रतिवादी क्रमांक 01 वादी को दिया करता था।

**3—** प्रतिवादी क्रमांक 01 की माँ सीताबाई की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 वादी की उक्त भूमि पर अधिया-बटई करता रहा, परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वर्ष 2011 में वादी को उसकी भूमि की आधी फसल नहीं दिया तब उक्त संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 01 से अपनी फसल की मांग किया परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 टालमटोल करता रहा। जुलाई 2012 में अपनी भूमि पर स्वयं काश्त करने आया तो प्रतिवादी क्रमांक 01 कहने लगा कि उक्त भूमि मेरी है और उस पर मैं कब्जे में चला आ रहा हूँ और मैं अब कोई फसल नहीं दूंगा और न ही उक्त भूमि तुम्हें काश्त करने दूंगा। उक्त जमीन को मैं विक्रय कर दूंगा, देखता हूँ। तुम कैसे काश्त करते हो। उक्त धमकी दिये जाने पर वादी ने अपनी भूमि के राजस्व प्रलेखों की जानकारी लिया तो जानकारी हुई कि वादी की माँ बतसियाबाई का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज नहीं है। वादी की माँ बतसियाबाई के पक्ष में निष्पादित बक्शीशनामा की घर पर तलाश किया तो नहीं मिला तब वादी ने उप-पंजीयक कार्यालय से उक्त बक्शीशनामा की नकल प्राप्त किया। उपरोक्त वर्णित भूमि वादी की माँ बतसियाबाई को उसकी बड़ी बहन प्रतिवादी क्रमांक 01 की माँ सीताबाई ने बक्शीश में दी थी। वादी की माँ बतसियाबाई की मौत हो चुकी है तथा वादी ही बतसियाबाई एक मात्र वैध वारसान है। इसलिये वादी उक्त पंजीयन बक्शीशनामा दिनांक 15.05.1965 के आधार पर वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार है तथा वादी उक्त भूमि पर स्वत्व के घोषणा की आज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी है। वादी प्रतिवादी क्रमांक 01 का रिश्तेदार होने से वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 01 को अधिया में दिया था किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 ने नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में ले लिया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 वादी को वादग्रस्त भूमि पर काश्त करने से मना करते हुये लड़ाई-झगड़ा कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। अतः वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 01 विक्रय या हस्तांतरित न करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।

4— वादी के अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर प्रतिवादी क्रमांक 1अ लगायत 1च ने अपने जवाबदावे में यह कहा है कि वादपत्र में वादी की आयु 65 वर्ष दर्ज है तथा दान पत्र दिनांक 15.05.1965 का विवादित है। बक्शीशनामा के समय वादी की आयु 18 वर्ष थी। पिछले 47 तक वादी कहां पर था यह तथ्य वाद पत्र में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वादी की माँ की मृत्यु हुये 30 वर्ष हो चुके हैं। वादी की माँ के जीवनकाल में विवादग्रस्त भूमि पर नामांतरण की कार्यवाही 47 वर्ष तक न होना सम्पूर्ण वादपत्र अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बक्शीशनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि यह दर्शित करती है कि उक्त दस्तावेज दिनांक 15.05.1965 को पंजीबद्ध हुआ तथा दिनांक 16.12.2013 को वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद विधिक प्रावधानों के विपरीत है तथा बक्शीशनामा पंजीबद्ध होकर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में पेश की गई है। दान पत्र सम्पत्ति अधिनियम की धारा 122 एवं 125 के अधीन दान नहीं है क्योंकि दान-दाता द्वारा दान तो दिया गया किन्तु दस्तावेज दान पत्र में आदाता के हस्ताक्षर नहीं होने से उक्त दस्तावेज शून्य है इस प्रकार से वादी का वाद विधिक प्रावधानों के अनुरूप है एवं प्रचलन योग्य न होने निरस्त किया जावे।

5— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 47/1 रकबा 3.920 हेक्टेयर मौजा बिरवा प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट वादी के स्वामित्व की है ?	“ प्रमाणित नहीं ”
2	क्या प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर अवैध आधिपत्य है ?	“ प्रमाणित नहीं ”
3	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को अवैधानिक रूप से अंतरित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?	“ प्रमाणित नहीं ”
4	क्या वाद अवधि बाध्य है ?	“ प्रमाणित नहीं ”
5	सहायता एवं खर्च ?	निर्णय की कड़िका-12 के अनुसार वाद निरस्त।

#### वादप्रश्न क्रमांक-4 का निष्कर्ष:—

6— प्रतिवादीगण के अनुसार बक्शीशनामा दिनांक 15.05.65 के 47 वर्ष के बाद वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि वादी की माँ की मृत्यु

हुये भी 30 वर्ष हो चुके हैं। वादी कोमलसिंह (वा0सा01) के अनुसार भोजेसिंह की मां सीताबाई की मृत्यु पश्चात भी भोजेसिंह उसकी तीन एकड़ भूमि पर अधिया-बटाई में कास्त करता रहा किन्तु वर्ष 2011 में फसल मांगने पर भोजेसिंह द्वारा टाल-मटोल किया गया जिसके पश्चात वर्ष 2012 में जब वह स्वयं अपनी भूमि पर कास्त करने आया तो भोजेसिंह द्वारा भूमि स्वयं के स्वामित्व की होने के कथन कर फसल तथा कास्त करने देने से इंकार किया गया और भूमि के विक्रय की धमकी दी गयी। तब संबंधित हल्का पटवारी से राजस्व प्रलेखों की जानकारी होने पर वादी को यह ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि उसकी मां बतसियाबाई के नाम पर राजस्व प्रलेख में दर्ज नहीं है। तब बक्शीशनामा की तलाश पर बक्शीशनामा न मिलने पर उसने उप पंजीयक कार्यालय बैहर से बक्शीशनामा की नकल एवं अन्य दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने के पश्चात वर्तमान वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादी कोमलसिंह (वा0सा01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-9 में कथन किया है कि उसे बक्शीशनामा की जानकारी पांच वर्ष पूर्व लगी तथा उसके पहले नहीं थी। कंडिका-10 में उसने कथन किया है कि भोजेसिंह से उसका कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ था एवं दिनांक 10.10.12 को मामले की नकल निकाले थे। प्रतिवादीगण द्वारा ही वादी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में पूर्व में विवाद न होने का सुझाव दिया गया है, जिसे वादी साक्षियों ने स्वीकार किया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है और न ही वादी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य लाये गये हैं कि उनको उक्त संबंध में पूर्व से जानकारी थी। ऐसी स्थिति में वादी के अभिवचन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं कि वर्ष 2012 में राजस्व प्रलेखों की जानकारी होने के पश्चात उसके द्वारा वर्तमान प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। फलतः वर्तमान वाद परीसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुरूप नियत समयावधि में प्रस्तुत होना प्रतीत होता है। जिस हेतु वाद प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

#### **वादप्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष:-**

7- कोमलसिंह (वा0सा01) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 47/1 रकबा 3.902 हेक्टेअर का पूर्व में मूल खसरा नम्बर 47 रकबा 14.18 एकड़ था जो श्रीमती सीताबाई के नाम पर दर्ज थी। उक्त भूमि में से तीन एकड़ भूमि सीताबाई द्वारा अपनी छोटी बहन



वादी की मां बतसियाबाई को रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 15.05.65 के द्वारा दिया गया था एवं सीताबाई बक्शीशनामा पंजीयन कर उक्त तीन एकड़ भूमि का कब्जा मालिकी बतसियाबाई को सौंप चुकी थी। जिसके पश्चात से अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में बतसियाबाई भूमि पर काबिज होकर कास्त करती रहीं। बतसियाबाई अनपढ़ एवं ग्रामीण महिला थी जिसे कानूनी ज्ञान नहीं था जिसके कारण उक्त तीन एकड़ भूमि के राजस्व प्रलेखों में स्वयं का नाम होने के भ्रम में रही। मां की मृत्यु के पश्चात ग्राम बिरवा उसके गांव से अधिक दूर होने के कारण उसने उक्त भूमि भोजेसिंह को अधिया-बटाई में कास्त करने दिया था और भोजेसिंह उसे फसल दिया करता था। वर्ष 2011 में भोजेसिंह द्वारा अधिया-बटाई की फसल देने के लिए टाल-मटोल करने पर वह वर्ष 2012 में जब स्वयं अपनी भूमि पर कास्त करने गया तो भोजेसिंह द्वारा भूमि स्वयं की होना व्यक्त कर उसे फसल देने और कास्त करने से मना कर दिया गया एवं भूमि विक्रय की धमकी दी गयी। जिसके पश्चात संबंधित हल्का पटवारी से राजस्व प्रलेखों की जानकारी लेने पर उसे पता चला कि उसकी मां बतसियाबाई का नाम उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में दर्ज नहीं है। तब बतसियाबाई के पक्ष में निष्पादित बक्शीशनामा घर में न मिलने पर उसने पंजीयन कार्यालय बैहर से बक्शीशनामा की नकल प्राप्त की एवं अन्य राजस्व प्रलेखों को प्राप्त किया। वादी के कथनों का समर्थन सूबेलाल (वा0सा02) व धन्नुलाल (वा0सा03) ने अपने मुख्य परीक्षण, शपथ पत्र में किया है। वाद के समर्थन में वादी द्वारा बक्शीशनामा दिनांक 15.05.65 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.01, वादग्रस्त भूमि का नक्शा प्र.पी.02 तथा खसरा वर्ष 2011-12 प्र.पी.03 पेश किया है। प्रतिवादीगण की मुख्य आपत्ति यह है कि उक्त दान संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन दान नहीं है क्योंकि बक्शीशनामा प्र.पी.01 में अदाता के हस्ताक्षर नहीं होने से उक्त दस्तावेज शून्य हैं।

**8—** वादी ने प्रकरण में रजिस्टर्ड बक्शीशनामा प्र.पी.01 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की है तथा अनुप्रमाणन साक्षी धन्नुलाल (वा0सा03) के कथन कराये हैं जिसने उसके समक्ष सीताबाई द्वारा बक्शीशनामा में अंगूठा लगाने के कथन किये हैं एवं बतौर साक्षी उसके तथा भरतसिंह के हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। उक्त साक्षी की साक्ष्य बक्शीशनामा प्र.पी.01 के संबंध में अखण्डनीय है तथा स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा में उक्त दस्तावेज स्वीकृत कर अदाता के हस्ताक्षर न होने के संबंध में आपत्ति की है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882

की धारा 123 यह प्रावधान करती है कि अचल संपत्ति का दान दाता अथवा उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति और दो अनुप्रमाणन साक्षियों के हस्ताक्षर युक्त पंजीकृत विलेख द्वारा ही किया जायेगा। उक्त प्रावधान अथवा अन्य प्रावधानों में कहीं भी दान पत्र में अदाता के हस्ताक्षर की अनिवार्यता के संबंध में लेख नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत बक्शीशनामा प्र.पी.01 पंजीकृत है। जिस पर दाता का अंगूठा स्वीकृत है तथा अनुप्रमाणन साक्षियों के हस्ताक्षर दर्शित हैं। मात्र अदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी न होने के आधार पर दस्तावेज को शून्य नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। फलतः उक्त संबंध में प्रतिवादीगण की आपत्ति निराधार है। धारा-122 संपत्ति अंतरण अधिनियम दान के संबंध में एक अनिवार्य शर्त बतलाता है कि दान को अदाता अथवा उसकी ओर से दाता के जीवनकाल में ग्रहण कर लिया गया हो। दान के ग्रहण के संबंध में अधिनियम में कहीं भी विशिष्ट रूप से लेख नहीं है। इसलिए उक्त संबंध में न्याय दृष्टांतों द्वारा यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि वह अभिव्यक्त अथवा मौन दोनों हो सकता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत- आनंदी देवी विरुद्ध मोहनलाल ए.आई.आर.1932 इलाहाबाद 444 तथा गौराचंद मुखर्जी विरुद्ध मालविका दत्ता ए.आई.आर.2002 कलकत्ता.26 अवलोकनीय है।

**9—** दान की स्वीकृति के संबंध में वादी कोमलसिंह (वा0सा01) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किया है कि सीताबाई द्वारा बक्शीशनामा दिनांक 15.05.65 के पश्चात वादग्रस्त भूमि का कब्जा व मालिकी बतसियाबाई को दिया जा चुका था। जिसके पश्चात बतसियाबाई द्वारा अपने जीवनकाल में भूमि पर काबिज मालिक होकर कास्त किया जाता रहा है। उक्त कथनों का समर्थन सुबेलाल (वा0सा02) और छन्नुलाल (वा0सा03) ने अपने मुख्य परीक्षण, शपथ पत्र में किया है। परंतु वर्ष 1965 के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। किसी भी राजस्व प्रलेख द्वारा यह दर्शित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पर कभी भी अदाता बतसियाबाई तथा उसके पश्चात वादी का आधिपत्य रहा हो। छन्नुलाल (वा0सा03) द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि बक्शीशनामा की लिखा-पढ़ी के पश्चात से प्रतिवादी भोजेसिंह जमीन पर कास्त कर रहा था। सुबेलाल (वा0सा02) अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि करीब 42-43 वर्ष पूर्व वादी ने वादग्रस्त भूमि को कमाया फिर अपने घर चला गया। जिसके बाद भोजेसिंह अपने जीवनकाल तक वादग्रस्त भूमि को कमाया जिस जबकि स्वयं

वादी कोमलसिंह (वा0सा01) ने मां बतसियाबाई द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि पर कास्त करने के कथन किये हैं। वादी कोमलसिंह (वा0सा01) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में ही पहले स्वयं के द्वारा भोजेसिंह को अधिया-बटाई में देने के कथन किये हैं। तत्पश्चात सीताबाई की मृत्यु के पश्चात भी भोजेसिंह के अधिया-बटाई में कास्त करने के विरोधाभासी कथन किये हैं क्योंकि सीताबाई की मृत्यु बतसियाबाई के पहले होना स्वयं वादी द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिससे उसके कथन अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। अन्य वादी साक्षी ने वादग्रस्त भूमि को भोजेसिंह द्वारा ही कमाने के कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि वादग्रस्त भूमि पर बतसियाबाई अथवा वादी का कभी अधिपत्य रहा हो। फलतः प्रकरण में दान के अभिव्यक्त ग्रहण के संबंध में तथ्य उपलब्ध नहीं है। जहां तक मौन ग्रहण का प्रश्न है, प्रकरण में उक्त संबंध में भी ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बक्शीशनामा के बारे में वादी कोमलसिंह (वा0सा01) का यह कथन है कि घर पर तलाश करने से नहीं मिलने के पश्चात उसके द्वारा पंजीयन कार्यालय से प्रति प्राप्त की गयी। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-9 में वादी ने स्वीकार किया है कि बक्शीशनामा उसकी मां के पास घर पर नहीं था तथा बक्शीशनामा की जानकारी उसे पांच वर्ष पूर्व लगी उसके पहले नहीं थी।

**10—** उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रकरण में कहीं भी यह दर्शित नहीं किया गया है कि दाता के जीवनकाल में अदाता द्वारा दान को ग्रहण किया गया तथा वादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में दाता सीताबाई की मृत्यु उसकी मां के पहले होने के कथन किये हैं। जिससे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अनुसार उपरोक्त दान शून्य दर्शित होता है। इस प्रकार बक्शीशनामा प्र. पी01 से वादी को वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है जिससे वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

### **वादप्रश्न क्रमांक-2 एवं 3 का निष्कर्ष:-**

**11—** वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय के प्रयत्न के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई अधिकार भी दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर अवैध अधिपत्य होकर उनके द्वारा अवैधानिक रूप से विक्रय करने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्योंकि भू-स्वामी

को अपनी इच्छा अनुसार भूमि के उपयोग तथा उपभोग का सम्पूर्ण अधिकार होता है। फलतः विवादक क्रमांक 02 एवं 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

**सहायत एवं व्यय:-**

**12-** उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव वादी का वाद निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

- (1) वादी का दावा निरस्त किया जाता है।
- (2) वादी स्वयं के साथ प्रतिवादी का भी वाद व्यय वहन करेगा। तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
बैहर बालाघाट म.प्र.

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
बैहर बालाघाट म.प्र.